

राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग,  
रायपुर छत्तीसगढ़

क्र.	विषय	पेज नं.
1	प्रक्रिया शुल्क	1-2
2	प्रक्रिया शुल्क	3

**कार्यालय**  
**राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर, छत्तीसगढ़**

महिला थाना चौक, छोटापारा, रायपुर  
(ई-मेल cg.coop.election@gmail.com) फोन : 0771-4916001

क्रमांक / रा.स.नि.आ. / प्र.शु. / 2023 / 28

रायपुर दिनांक १९.01.2023

**// आदेश //**

कार्यालय राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक / रा.स.नि.आ. / प्र.शु. / 2019 / 294, रायपुर दिनांक : 20.02.2019 में आंशिक संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 49-गग(1)(ख) के अनुसार सहकारी सोसाइटी के निर्वाचन बाबत लिखित अनुरोध के साथ ही निर्वाचन के संचालन हेतु राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर छत्तीसगढ़ एतद् द्वारा निम्न उल्लेखित कंडिका (2) की संस्थाओं हेतु कंडिका (3) में निम्नानुसार प्रक्रिया शुल्क विहित करता है :-

क्र.	संस्था का प्रकार	प्रक्रिया शुल्क
1	2	3
1.	(अ) प्राथमिक सहकारी संस्थाएं :- उपभोक्ताभंडार / केन्टीन / दुग्ध / मत्स्य / कामगार / औद्योगिक श्रमिक / मुर्गीपालन / बुनकर / यातायात / बहुउद्देशीय / बीज उत्पादक	रुपये 1000
	(ब) प्राथमिक सहकारी संस्थाएं :- गृह निर्माण / विपणन / सहकारी मुद्रणालय / प्राथमिक कृषि साख / गैर कृषि साख / आवास प्रबंधन / वनोपज एवं अन्य प्राथमिक समितियां।	रुपये 2000
	(स) प्राथमिक सहकारी संस्थाएं :- सहकारी शक्कर कारखाना	रुपये 10,000
2.	जिला स्तरीय सहकारी संस्थाएं :- सहकारी संघ / सहकारी केन्द्रीय बैंक / नागरिक बैंक / जिला थोक भंडार / जिला वनोपज यूनियन	रुपये 10,000
3.	राज्य / संभाग स्तरीय सहकारी संस्थाएं	रुपये 15,000

प्रक्रिया शुल्क राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर, के नाम से या उसके पक्ष में जारी बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर के छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, के खाता क्रमांक-103000722174 IFSC Code- CBIN0CGDCBN पर RTGS के माध्यम से प्रक्रिया शुल्क जमा कर पावती की समन्वयक द्वारा सत्यापित प्रति के साथ निर्वाचन हेतु भेजे जाने वाले प्ररूप छ-2 के साथ अनिवार्यतः भेजा जाना एवं इसकी प्रविष्टि निर्धारित प्ररूप छ-2 की कंडिका (ज) प्रक्रिया शुल्क का विवरण अंकित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। उक्त प्रक्रिया शुल्क दिनांक 31.03.2023 के पश्चात् से लगातार प्रस्तुत होने वाले निर्वाचन प्रस्ताव पर लागू होगा।

(सुनील कुमार कुंजूर)

आयुक्त

राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग  
रायपुर, छत्तीसगढ़

//2//

पृ. क्रमांक/रा.स.नि.आ./प्र.शु./2023/28  
प्रतिलिपि :-

रायपुर दिनांक 9 .01.2023

1. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समन्वयक एवं अपर/संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. सचिव/अवर सचिव, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. कक्ष प्रभारी, लेखा कक्ष, निर्वाचन कक्ष की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. लेखाधिकारी, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर की ओर प्रेषित कर निर्देशित है कि आयोग के आदेश क्रमांक 294, दिनांक 20.02.2019 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

186  
आयुक्त 9/1/2023

राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग  
रायपुर, छत्तीसगढ़

कार्यालय  
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर, छत्तीसगढ़

महिला थाना चौक, छोटपारा, रायपुर  
(ई-मेल cg.coop.election@gmail.com) फोन : 0771-4916001

क्रमांक/रा.स.नि.आ./प्र.शु./ 2024/757 रायपुर, दिनांक 10/05/2024

// आदेश //

कार्यालय राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक/रा.स.नि.आ./ प्र.शु./ 2023/28, रायपुर दिनांक 09.01.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए सभाग स्तरीय सहकारी संस्थाएं की निर्वाचन प्रक्रिया शुल्क राशि रुपये 15000.00 के स्थान पर रुपये 10000.00 विहित किया जाता है। शेष अन्य सहकारी संस्थाएं की निर्वाचन प्रक्रिया शुल्क राशि यथावत रहेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।



क्रमांक/रा.स.नि.आ./प्र.शु./ 2024/757  
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. समन्वयक एवं अपर/संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. सचिव/अवर सचिव, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग की ओर सूचनार्थ।
5. कक्ष प्रभारी, लेखा कक्ष, निर्वाचन कक्ष की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. लेखाधिकारी, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर की ओर प्रेषित कर निर्दिष्ट है कि आयोग के आदेश क्रमांक 294, दिनांक 20.02.2019 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

*(Signature)*  
आयुक्त

राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग  
रायपुर, छत्तीसगढ़